न्यायालय श्री अजित कुमार मिश्र, जिला एवं अपर सत्र न्या0–द्वितीय सह विशेष न्या0 (एन.डी.पी.एस.), कैमूर, भभुआ।

सरकार बनाम उदय कुमार

एन.डी.पी.एस. केस नंबर– 33/2024

आदेश

15.05.2026 प्रस्तुत वाद के अभियुक्त उदय कुमार की ओर से स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने हेतु एक आवेदन दिया गया है। जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजक को दे दी गयी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन को संचालित करते हुए न्यायालय से निवेदन करते है कि अभियुक्त उदय कुमार प्रस्तुत वाद में स्वेच्छा से दोष स्वीकार करना चाहता है। आवेदक इस वाद में नामजद अभियुक्त है। आवेदक के पास से 720 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुआ है, जो लघुमात्रा की श्रेणी में आता है तथा आवेदक का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ओर न ही सजायाफ्ता है तथा वह अपना दोष स्वीकार बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अभियुक्त को कम से कम सजा देने की कृपा की जाए।

अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त की प्रार्थना पर अपनी सहमति व्यक्त करते है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा–21(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट सह पठित धारा–8(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत बहस हेतु चल रहा है। अभियुक्त उदय कुमार के दोष स्वीकार करने पर समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। चूँकि अभियुक्त के पास से जो हेरोइन बरामद किया गया है, वह लघु श्रेणी का है। अतः अभियुक्त को धारा– 21(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट सह पठित धारा–8(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध का दोषी पाया गया है। तद्नुसार अभियुक्त को एन.डी.पी.एस. की धारा–21(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट सह पठित धारा–8(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए कारा में बितायी गई अवधि दिनांक 20.03.2024 से 31.07.2024 तक के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। कार्यालय तद्नुसार अभियुक्त के संदर्भ में सजा अधिपत्र के साथ मुक्ति अधिपत्र निर्गत करें।

आज ही अभियुक्त उदय कुमार की ओर से दोष स्वीकृति का आवेदन दाखिल किया गया है। उदय कुमार पर आरोप है कि घटना तिथि को अभियुक्त के पास से 720 मिलीग्राम हेरोईन बरामद हुआ था। अभियुक्त अपने इस आरोप को स्वेच्छा से स्वीकारते हुए समुचित दंडादेश पारित करने का अनुरोध करता है।

उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को अवैध रूप से प्रतिबंधित हेरोईन ब्रिकी किये जाने के लिए दोष स्वीकृति के आधार पर एन.डी.पी.एस. की धारा–21(ए)

लगातार

15.05.2026 सहपठित धारा–8(सी) के तहत दोषसिद्ध करते हुए कारावास में बितायी गई अवधि (20.03.2024 से 31.07.2024) के अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी जाती है तथा साथ में दो हजार पांच सौ रूपये की अर्थदंड की भी सजा दी जाती है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अर्थदंड की राशि का भुगतान करने में विफल होने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेशानुसार फाइन चेक रिसिप्ट संख्या–00200150 दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से अर्थदंड की राशि जमा की गई। फलतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से अविलंब मुक्त किया गया।

लेखापित
ह0/–
(अजित कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय
कैमूर, भभुआ।